

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम --:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 106/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी
हुए

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प आसरलाई में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 255 के ख.नं. 315, 318, 393 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान आसरलाई में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा-आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 255 के ख.नं. 315, 318, 393 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 255 के ख.नं. 315, 318, 393 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " प्रकाशचन्द पुत्र छोगाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO मुन्द
उपखण्ड अधिकारी एवं परदेस
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)